

4-12-14 पंजाब पंचायत राज अधिनियम 1961 के अन्तर्गत

राज्य सरकार द्वारा पंचायत राज अधिनियम

1961 के अन्तर्गत राजस्व के अनुसार

राज्य सरकार द्वारा पंचायत राज अधिनियम

1961 के अन्तर्गत राजस्व के अनुसार

राज्य सरकार द्वारा पंचायत राज अधिनियम

1961 के अन्तर्गत राजस्व के अनुसार

राज्य सरकार द्वारा पंचायत राज अधिनियम

1961 के अन्तर्गत राजस्व के अनुसार

राज्य सरकार द्वारा पंचायत राज अधिनियम

1961 के अन्तर्गत राजस्व के अनुसार

राज्य सरकार द्वारा पंचायत राज अधिनियम

1961 के अन्तर्गत राजस्व के अनुसार

राज्य सरकार द्वारा पंचायत राज अधिनियम

1961 के अन्तर्गत राजस्व के अनुसार

राज्य सरकार द्वारा पंचायत राज अधिनियम

सं. नं.	विवरण	राजस्व
27	धनग राम 510 उदाराम	2.35 रु + 0.31 रु
28		0.03 रु
29		1.92 रु
जिला 3		2.26 रु
30	मल्लो राम 304 उदाराम	0.03 रु
31		2.24 रु
जिला 2		2.27 रु
72	रंजिता राम 36 रवपा राम	0.09 रु + 2/3
73		0.03 रु + 1/2
74		3.32 रु + 1/2
75 व 76		रु + 1/2

	ख. नं.	ख. नं.
④ शिवाजी पुत्र राम राम	27	2.04 1/2
	29	0.21 1/2
	किता 2	2.25 1/2

⑤ शिवाजी पुत्र राम राम	29	0.18
	72	0.09 में 1/2
	73	0.07 में 1/2
	74	3.32 में 1/2
	कुल दिशा में रहेगा	
	75 व 76 में 1/2	

ख. नं. 29 ख. नं. 0.05 1/2 उत्तरी सीमा के सादे सादे रास्ता 13 फीट चौड़ा रहेगा।
 ख. नं. 31 में उत्तरी सीमा के सादे-2 रास्ता 13 फीट चौड़ा ख. नं. 0.07 1/2 रहेगा। ख. नं. 72, 73, 74, 75, 76 में धरना राम का गाम हजफ किया जाता है। राजीनामा के अनुसार गामबन्दी के कर्मि बल्लाराम पुत्र उपाराम का लंदे गाम बल्लाराम पुत्र उपाराम कर्मि किया जावे। राजीनामा निर्णय का दिनांक रहेगा। राजीनामा एवं उपरोक्तानुसार राजस्व परिणाम के निष्पत्तानुसार शहन 9 जे करते हुये राजस्व रिगत के बंधन संशोधन तथा फल परामर्श किया जाते का आदेश दिया जाता है। अतिरिक्त रिक्ती जाते दो निर्णय का दिनांक 4-12-2014 को खुले अदालत में सुनाया गया।

5/11
 सहायक कलेक्टर (फसल डेप्युटी)
 संताल जंगल (सीकर)